से प्रोग्रामिंग करते हैं । वर्ष 1982-83 में जो शार्टफाल आया है, उसके पीछे वर्स्ट ड्रौट ऑफ दी सैन्चुरी का कारण है । यदि उस साल कमी आई तो वह कोई बड़ी बात नहीं है । यदि आप प्रोडक्शन की फीगर्स चाहें तो में एचीवमैंट आदि की फीगर्स क्राप-वाइस बता सकता हूं, यदि आप चाहें तो मैं उनको टेबल पर भी रख सकता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप उनको टेबल पर ही रख दीजिए क्योंकि यहां पढ़ने से काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं उनको टेबल पर रख देता हूं । लेकिन आपका यह कहना गलत है कि यह कार्पोरेशन अच्छी तरह से नहीं चल रही है । जहां तक क्वालिटी की बात है वर्ष 1982-83 में 44 हजार सैम्पल्स को हमारी क्वालिटी कन्ट्रोल लैबोरेटरी में टैस्ट किया गया । उससे जाहिर होता है कि क्वालिटी कन्ट्रोल के मामले में हम पूरी तरह जागरूक हैं और यह कार्पोरेशन अच्छा काम कर रहा है ।

श्री विजय कुमार यादव : सर, बोर्ड ने क्या फैसला लिया और उसके आडिट के बारे में जो मेरे प्रश्न थे, उनका उत्तर नहीं आया ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : इस कर्पोरेशन का आडिट चार्टर्ड एकाउन्टैन्टस करते हैं और ससको कम्पट्रोलर और औडिटर ऑफ इण्डिया द्वारा रिव्यू किया जाता है । उस रिपोर्ट में कोई बुरी बात सामने अभी तक नहीं आई है । पता नहीं आप कैसे इस निषकर्ष पर पहुंच गये कि यह कार्पोरेशन ठीक नहीं चल रहा है । इस कार्पोरेशन का आडिट हम पार्लियामेंट के सामने समय समय पर लाते रहते हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं कि यह कैसी चल रही है ।

Forest cover Disappearing in Rajasthan

*948. SHRI VIRDHI CHANDER JAIN : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the forest cover in many districts of Rajasthan is on the verge of disappearing creating a fuel wood famine in the area and disturbing ecological balance;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have taken up the matter with Rajasthan Government to take effective steps against destruction of forest wealth of the State; and

(d) if so, the outcome thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENERA MAKWANA) : (a) According to information received from the State Government, the forest cover is not on the verge of disappearing in any district of Rajasthan.

(b) Question does not arise.

(c) Prime Minister herself has been writing to the Governors and the Chief Ministers of all the State Governments including Rajasthan for preservation of forest wealth. Forest (Conservation) Act, 1980 has been passed to regulate diversion of forest area for non-forestry purposes. Guidelines have also been issued for preservation of forest. Under the New Twenty Point Programme unprecedented thrust has been imparted to tree plantation and social forestry on a massive scale.

(d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The State Government has initiated following steps for better protection of forest and increase of forest wealth ;

(i) The network of totally protected area with complete ban on any type of felling has been increased by setting up National Parks and sanctuaries which cover more than 20% of the total forest area of the State.

(ii) The agency of the contractors, as far as commercial fellings in forest is concerned, has been eliminated entirely by the State Government.

(iii) Fourteen flying squads have been created for effective checking of illicit fellings and poaching.

(iv) Rules for the control and working of saw mills have been promulgated, which have effectively checked conversion of illicity felled timber.

(v) Afforestation, Social Forestry and Farm Forestry programme in the State have been stepped up and the achievements during the last three years are as follows :

S. No.	Item	1981-82	1982-83	1983-84
1.	Afforestation (number of seedlings planted in lakh numbers)	305	368	580
2.	Social Forestry (Area planted in hectares)	12,500	11,300	15,200
3.	Farm Forestry (Plant supplied in lakh numbers)	39	113	283

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न का जवाब (क) में दिया गया है कि राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान के किसी जिले में वन सम्पत्ति समाप्त होने की स्थिति में नहीं है, यह जवाब गलत है विशेषतौर से रेगिस्तानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में वहां पर यह स्थिति है कि वन क्षेत्र समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गया है जिसके कारण जलाऊ लकड़ी का भयंकर संकट उपस्थित हो गया है और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है, और ऐसी स्थिति बन गई है कि गत 4 सालों से लगातार अकाल की स्थिति पैदा हो गई है। एक तो अवैध कटाई होती है, दूसरे ठेकेदारी प्रथा के कारण पेड़ों की निर्ममता से कटाई होती है यद्यपि जबाव में दिया गया है कि कांमर्शियल प्रेरपजेज के लिय ही ठेकेदारों को अधिकार है। परन्तु इसका बहुत ही दुरूपयोग होता है और निर्ममता से कटाई होती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि क्या ऐसी अवैध कटाई के लिए सख्त कानून बना कर अधिक पनिशमेंट देंगे और ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करेंगे चाहे वह किसी भी परपज के लिये हो ? क्या आप कानून में यह व्यवस्था करेंगे जिससे वन सम्पदा समाप्त न हों ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : वही तो हमारी भी इच्छा है हम चाहते हैं कि वन सम्पदा बढे और उसकी कमी न हो। इसलिय पहले फोरेस्ट कंजरवेशन ऐक्ट, 1980 को इनेक्ट किया गया कि कोई राज्य सरकार किसी काम के लिए कटाई न करे बिना भारत सरकार की मन्जूरी के ।

जहां तक ठेकेदारी प्रथा का सवाल है उसके बारे में हमने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को गाइडलाइन्स दी हैं कि फोरेस्ट में से ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना चाहिये। और जो हम सदन के सामने नई फोरेस्ट पोलसी लाने वाले हैं उसमें भी ठेकेदारी प्रथा को बिल्कुल खत्म करने का हमने तय कर दिया है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जोधपुर में 35 साल से काम कर रहा है लेकिन उसका वैज्ञानिक लाभ किसानों को नहीं पहुंचा है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। राजस्थान सरकार से भी इसका कोई कोआर्डिनेशन नहीं है तो इस बारे में आप क्या करने जा रहे हैं जिससे इस ऐरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट का लाभ रेगिस्तानी क्षेत्रों और किसानों को पहुंचे ?

दूसरे जो फिगर्स हैं फोरेस्ट के बारे में कि इतने पेड़ हमने लागाये यह आंकड़े बिल्कुल सही नहीं होते हैं, और 10 प्रतिशत ही पेड़ उगाए जाते हैं या तैयार होते हैं और गलत आँकड़े दे कर आपको धोखा दिया जाता है। तो इस बारे में मूल्यांकन करने के लिये, मानीटरिंग करने के लिए आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ? यह बतायें ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : ऐरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से वहां काफी डवलपमेंट हुआ है, उसका लाभ किसानों को भी मिलता है और राज्य सरकार से उसका कोआर्डिनेशन है। माननीय सदस्य कहते हैं कि नहीं है, हमारी जानकारी में तो ऐसा नहीं है।

अभी अभी मुझे बताया गया है कि राज्य सरकार ने फोरेस्ट एरिया में ठेकेदारी सिस्टम को अबालिश कर दिया है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : हमें जानकारी है कि ठेकेदारी सिस्टम को अभी अबालिश नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : वृद्धि चन्द्र जी, वह दो दिन पहले की बात है, और मंत्री जी 2 मिनट पहले की बात बता रहे हैं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : यह गलत सूचना है।

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : स्टेटमेंट में साफ बताया है, आप पढ़िये तो सही।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : बिल्कुल गलत है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : हमको तो राज्य सरकार जो सूचना देगी वही हम देंगे। राज्य सरकार ने कहा है कि हमने कांट्रेक्टर का सिस्टम नाबूद कर दिया है। जब राज्य सरकार यह कहती है तो हमें मानना पड़ेगा। यदि आप कहते हैं कि कांट्रेक्टर का सिस्टम अभी चालू है, तो आप एक भी कांट्रेक्टर का नाम बताइये, हम स्टेट गवर्नमेंट को कहेंगे कि वह बतायें।

श्री हरीश कुमार गंगवार : वन संरक्षण सारे देश के लिए आवश्यक है, यह हरेक मानता है। इस सम्बन्ध में राजस्थान ही नहीं, प्रत्येक में सख्त कानून बनाए गये हैं और उनका सजा व जुर्माना बढ़ाया गया है।

मैं इस बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बिना परमिट के पुलिसवाले बाग कटवा देते हैं। आप कहीं भी सर्वे करा लीजिए। क्या आप कोई ऐसा दल बनाने पर विचार कर रहे हैं जो हर क्षेत्र में जाकर देखें कि पुलिस वालों की सांठ-गांठ से कितने

बाग कटे हैं, मैं बरेली में भोजीपुरा का उदाहरण दे सकता हूं, वहां पर पिछले 2 महीने में 14 बाग बिना परिमिट के कटवा दिये गए हैं। क्या मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जिन लोगों के बाग हैं, वे क्या करते हैं ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : वह पैसा लेते हैं और बाग बेच देते हैं। बिना परिमिट के हरे पेड़ कटवा देते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह कैसे ?

श्री हरीश कुमार गंगवार : उन्हें अपने बाग कीमत मिल गई। परमिट चाहये, वह लेते नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दें।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैंने दोहरा दिया कि वह कोई परमिट नहीं लेते, बाग के मालिक और कांटने वाले, जिनको बाग बेचा जाता है। पुलिस वालों से मिलकर वह बाग कटवा देते हैं। ऐसे 14 उदाहरण मैंने केवल बरेली के भोजीपुरा के क्षेत्र के दिये, जिनकी मैंने शिकायत की और बाद में वह काटते हुए पकड़े गए।

अध्यक्ष महोदय : कुछ करना पड़ेगा।

श्री हरीश कुमार गंगवार : उन कठिन कानूनों का कोई पालन नहीं हो रहा है। पुलिस वाले बाग कटवा देते हैं, आप इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय, 72 रुपये क्विंटल लकड़ी मैंने 4 दिन पहले खरीदी है ? क्या इसका भी मंत्री महोदय कोई हल करेंगे ? क्या कुछ पेड़ों को रिलीज करेंगे जिनसे लकड़ी मिल सके ? कुछ ऐसे पेड़ जिनका वास्तविक उपयोग नहीं है उनके बारे में क्या कुछ करेंगे ? क्या लकड़ी के भाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं ? दोनों बातों का मेल बैठाइये।

SHRI RAMGOPAL REDDY : I have specialised in this subject, Sir,

अध्यक्ष महोदय : गोबर गैस प्लांट लगाइये।

श्री हरीश कुमार गंगवार : गोबर गैस प्लांट हरेक नहीं लगा सकता है। उसका कोई उपाय निकालना होगा। मंत्री महोदय क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : इम्पलीमेंटशन का प्रोग्राम स्टेट गवर्नमेंट का है। एजेन्सीज चाहे पुलिस की हों या फारेस्ट आफीसर्स की हों, वह स्टेट गवर्नमेंट की है। इसलिए वहां क्या होता है वह स्टेट गवर्नमेंट देखती है।

माननीय सदस्य के पास स्पेशल कोई एरिया है और कोई स्पैसेफिक बात हमें लिखें तो हम राज्य सरकारों को लिखेंगे।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैंने कह दिया कि 2 महीने में 14 बाग काट दिये गये।

श्री योगेन्द्र मकवाना : हम को लिखकर दीजिए। मैं राज्य सरकार को उसके बारे में लिख दूंगा कि माननीय सदस्य की कम्पलेंट है, उसकी जांच कराइये। अगर मेरे पास स्पैसेफिक कम्पलेंट न हो तो में राज्य सरकार को कैसे लिख सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक बात है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : लकड़ी सस्ती करने का क्या उपाय कर रहे ?

(व्यवधान)

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी खुशी की बात है कि राव

वीरेन्द्र सिंह बड़ी अच्छी ड्रेस में आये हैं- उन्होंने पगड़ी पहनी है। आप उन्हें आदेश दें कि वह रोज पगड़ी पहन कर आया करें।

अध्यक्ष महोदय : आपके लिए भी कल पगड़ी मंगवा देंगे।

SHRI M. RAM GOPAL REDDY : Thank you, Sir.

I want to tell the Minister that the forests are being destroyed not oniy in Rajasthan, but throughout the country, including Andhra Pradesh. Is the Minister going to put a ban on the cutting of trees at least for 50 years, particularly in Rajasthan ? Already, the whole of Rajasthan has become a desert. There is a possibility that the whole of India will become a desert, if the forests are cut.

Regarding fuel, I want the Minister to recommend to the Minister of Energy to sanction more gas agencies to that area, so that they may use gas, instead of fuel. Is he going to put a complete ban ?

SHRI YOGENDRA MAKWANA : It is difficult to put a ban for 50 years in any particular State; but as I have already told the Members, this Forests Conservation Act, 1980 has been enacted only for this purpose.

अध्यक्ष महोदय : जब श्री राम गोपाल रेड्डी साफा बांध लेंगे, तो ऐसे सवाल नहीं करेंगे।

श्री भोखाभाई : अध्यक्ष महोदय, एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अधिकारियों का राजस्थान सरकार के वन अधिकारियों के साथ वांछित सहयोग नही है। यह सही है कि राजस्थान में कंट्रेक्टर सिस्टम बन्द हो गया है, लेकिन वहां पर एक और व्यवस्था शुरू हुई है, जिसका नाम है डिपार्टमेंटल वर्किन्ग। वह काम में उतनी गड़बड़ करता है, जितनी कि कंट्रेक्टर करते हैं। क्या सरकार इस पर रोक लगाएगी ? खासकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा, झालावाड़, बूंदी और सिरोही जिलों में वन हैं। फारेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी लकड़ी बेचने के लिए फारेस्ट काटते हैं, तो वे उसमें गड़बड़-घोटाला करते हैं। जो फ्युल की लकड़ी और इमारती लकड़ी काटी जाती है, वह बाजार भाव से बड़ी मंहगी बेची जाती है। क्या मंत्री महोदय इस गड़बड़ पर रोक लगाएंगे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने पहले ही बताया है कि एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच अच्छा सहयोग है। माननीय सदस्य ने डिपार्टमैंटल वर्किन्ग की बात कही है। फारेस्ट मे पेड़ो को काटने के लिए एक वर्किन्ग प्लान बनाया जाता है। इस बारे में स्टेट गवर्नमेंट्स को गाइडलाइन्ज फार प्रेपेरेशन आफ वर्किन्ग प्लान्ज फार फेलिंग इन फारेस्ट्स दी गई है। उकनो बताया गया है कि पेड़ों को इस ढंग से न काटा जाए कि फारेस्ट को नुकसान हो। रीजेनीरेशन के लिए तीस, चालीस, पचास साल के बाद पेड़ों को काटा जाता है और रीप्लान्टेशन किया जाता है। भारत सरकार की ओर से हर स्टेट गवर्नमेंट को इस सम्बन्ध में गाइडलाइन्ज दी गई हैं।

जनजाति उपयोजनाओं के लिए सिंचाई परियोजनाएं

*949. **श्री मनोहर लाल सैनी** :

श्री भीम सिंह : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्रों के लिए 174 बृहद और